-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से कुकर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा दिलाई गई। गौरतलब हो कि थाना मटौंध क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने दिनांक 08.01.2021 को थाना मटौंध पर सूचना दी कि दिनांक 06.01.2021 को जगना पुत्र चुनवाद ने उसके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म किया है। जिसके संबंध में थाना मटौंध पर धारा 377/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरी0 श्री रामनारायन मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रामकुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **जगना उर्फ जगन्नाथ पुत्र चुनवाद निवासी घुरहा थोक कस्बा व थाना मटौंध जनपद बांदा**